संख्या शिक्षा – शिमला प्रा0 (2–4)ए(1)1 / 22– मान्यता प्राप्त – 35232-94
कार्यालय उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,
जिला शिमला– शिमला –171004 .
दिनांक शिमला–171004 .

06.12.2022.

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
Aradhana Public School, Rohru
खण्ड Rohru, जिला शिमला हि0प्र0।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन विद्यालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण– पत्र ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्रःसंख्या–शून्य दिनांक 22.04.2022. के आवेदन और विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार के प्रतिनिर्देश से, मै Aradhana Public School, Rohru जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को 1.03.2022 से 28.02. 2027 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवी तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं तथा हर वर्ष हेतू क0 सं 019 के अनुसार कार्यावाही करे।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रुप में कक्षा 8 से आगे विधालय की मान्यता या सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011(उपाबन्ध–2) के उपाबन्धों का पालन करेगा।
3. सोसाइटी / विधालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगी / करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगी / करेगा।
4. विधालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा–
   (1) आयु का सबूत न होना ।
   (11) यदि ऐसा प्रवेश, प्रदेश के लिए 90 दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया हो, और
   (111) धर्म, जाति या वंश, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर।
5. विद्यालय यह सुनिश्चत करेगा कि –
   (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नंही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नंही किया जायेगा।

   (11) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा या ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जायेगा।

   (111) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नंही की जायेगी।

   (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 19 के अधीन यथा अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (v) निःशक्तता ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
   (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताओं के साथ की जाती है और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, न्यूनतम अहर्ताए नहीं है, मार्च 2015 तक ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेंगे।
   (viii) अध्यापक / अध्यापिका अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्या का पालन करेगा / करेगी और
6. विद्यालय, धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

7. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे विनिर्दिष्ट, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में छात्रो का नामांकन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल,	:– 3764 Sq.M
कुल निर्मित क्षेत्र,	:– 839 Sq.M
कीडा स्थल का क्षेत्रफल ,	:– ....
कक्षा के कमरों की संख्या,	:– 20

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष के लिए कमरा, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड –डे –मिल पकाने हेतू रसोई अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा खेल–कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता बाधा रहित पंहुच .

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाए नंही चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य अवंसरचनाओं या कीड़ा स्थलों का, विद्यालयों के किसी कर्मचारी के निवास के प्रयोजन के सिवाए ,दिन या रात्रि के दौरान वाणिज्यक या आवासीय प्रयोजनो के लिए या किसी भी प्रकार की राजनैतिक या गैर – शैक्षणिक कियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।

12. विद्यालय को किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।

13. विद्यालय के लेखाओं की, किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

15. आपके विद्यालय को आंबटित **मान्यता कोड संख्याक 000713** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें ।

16. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है,जो समय–समय पर निदेशक, शिक्षा / उपनिदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाएगा।

18. राज्य सरकार अनुपालना के लिए समय–समय पर अतिरिक्त भत्ते विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–2 (एन 0) उपखण्ड (11) तथा (4) में निर्दिष्ट सभी वैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व–धोषणा पत्र (प्रपत्र में ही हर स्थिति से अवगत करवाया जाए) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें । मान्यता के नवीनीकरण हेतू पांच सौ रूपये का शुल्क प्रति वर्ष देय होगा ।

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला–4, जिला शिमला ।
06.12.2022

पृष्ठाकंन प्रतिलिपि :– संख्या दिनांक शिमला–171004

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ,हिमाचल प्रदेश शिमला –1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी Rohru को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. रक्षक नस्ति ।

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला–4, जिला शिमला ।

Principal
Aradhana Public School
Rohru, Shimla H.P.

Manager
Aradhana Public School
Rohru, Shimla H.P.

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION,GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

CERTIFICATE FOR RENEWAL OF SCHOOL

Registry Number of School: HP-DEE/106851
School Name: ARADHANA PUBLIC SCHOOL

Registry Date: 08 Sep, 2026
Address: VPO ROHRU, TEH ROHRU, DISTT SHIMLA, H.P.

Sub: Recognition Certificate for the School under sub-rule (5) of rule 9 of Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the purpose of sub-section(2) of Section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated 29 Mar, 2025 and subsequent correspondence with the school. I convey the grant for provisional recognition to the ARADHANA PUBLIC SCHOOL , VPO ROHRU, TEH ROHRU, DISTT SHIMLA, H.P. for school type **Elementary** for a period of one years w.e.f. **2025 - 2026.**

The above recognition is subject to fulfilling of following conditions: -

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize or affiliate the school beyond Class VIII
2. The School shall abide by the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Annexure I) and the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 (Annexure II)
3. The Society/School shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure
4. The School shall not deny admission to any child,
    - for lack of age proof
    - if such admission is sought subsequent to the extended period of ninety days for admission
    - on the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them
5. The School shall ensure that,
    - No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in that school
    - No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment
    - No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education
    - Every child completing elementary education is awarded a certificate as laid down under rule 19 of the Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011,
    - Students with disabilities/special needs are given admission as per provisions of the Act
    - The teachers are recruited with minimum qualifications as laid down under section 23(1) of the Act. The current teachers who, at the commencement of this Act did not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications by March, 2015
    - The teacher performs his/her duties specified under section 24 (1) of the Act
    - The teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities
6. The School shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by academic authority under sub?section (1) of section29
7. The School shall enroll students proportionate to the facilities available in the school specified in the section 19 of the Act.
8. The School shall maintain the standards and norms as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-
    - Area of school campus
    - Total built up area

- Area of playground
- No. of classrooms
- Room for Headmaster/Office/Store
- Separate toilet for boys and girls
- Drinking Water Facility
- Kitchen for cooking Mid-Day Meal
- Barrier free Access
- Availability of Teaching Learning Material/Play Sports Equipments/Library

9. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school
10. The school buildings or other structures or the grounds shall not be used during the day or night for commercial or residential purposes, except for the purpose of residence of any employee of the school or for political or non?educational activity of any kind whatsoever
11. The School shall be run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force
12. The School shall not be run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons
13. The accounts of the school shall be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements shall be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts shall be sent to the Deputy Director/Block Elementary Education Officer every year
14. The recognition Code Number allotted to your school is **HP-DEE/106851** This may please be noted and quoted for any correspondence with this office
15. The school shall furnish such reports and information as may be required by the Director of Education/Deputy Director/ Block Elementary Education Officer from time to time and comply with such instructions of the State Government/ local authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school
16. Renewal of Registration of Society if any, be ensured
17. The State Government may specify additional conditions from time to time for compliance

Remarks:

Fee Rs.-500 /- deposited vide E-Challan No.-A25C353605 Dated 2025-03-29 12:42:06

[Digitally Signed by Smt. Nisha Bhaluni on 08 Sep 2026]
Deputy Director Of Elementary Education,Department of Elementary Education
Govt. of Himachal Pradesh